



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1812

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3979 वर्ष 2025

जवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सुबेदार शुक्ल

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुबेदार शुक्ल, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार राय तथा प्रतिवादी-गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वह ग्राम चचोखर, तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट स्थित प्लॉट संख्या 243 खा, क्षेत्रफल 0.8490 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में ‘पथरीली भूमि’ के रूप में दर्ज है, पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202507190205938 का शीघ्र निर्णय करे।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूखण्ड के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही पूर्व से ही पंजीकृत है, जो संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। उन्होंने प्रार्थना की कि उक्त धारा 67 की लंबित कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही का, संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, विधि के अनुसार यथाशीघ्र निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 6, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सी. प्रकाश

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।